

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION  
चतुर्थ तल, चन्द्रलोक भवन, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110 001  
4<sup>th</sup> Floor, Chanderlok Building, 36, Janpath, New Delhi- 110001  
Ph: 23753942 Fax-23753923

संदर्भ सं० / Reference No. 326/TL/2013

16.6.2014

सेवा में / To,

सचिव / The Secretary,  
विद्युत मंत्रालय / Ministry of Power,  
भारत सरकार / Government of India,  
श्रम शक्ति भवन / Sharam Shakti Bhawan,  
राफी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 / Rafi Marg, New Delhi - 110001

सचिव / The Secretary,  
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण / Central Electricity Authority,  
सेवा भवन, आर. के. पुरम / Sewa Bhawan, R.K. Puram,  
नई दिल्ली - 110 022 / New Delhi - 110022

विषय : पुरुलिया एवं खडगपुर पारेषण कंपनी लिमिटेड को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करना  
Subject: Grant of transmission licence to Purulia and Kharagpur Transmission Company Limited.

Sir/महोदय,

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने पुरुलिया एवं खडगपुर पारेषण कंपनी लिमिटेड को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान की है।

In exercise of powers conferred under Section 14 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Commission has granted the transmission licence to Purulia and Kharagpur Transmission Company Limited.

2. मुझे उक्त अनुज्ञप्ति संख्या 25/पारेषण/2014/केविआ, दिनांक 30 मई, 2014 की प्रतिलिपि आपकी सूचना के लिए भेजने का निदेश हुआ है।

2. I am directed to send herewith a copy of the above licence No. 25/Transmission /2014/CERC, dated 30th May, 2014 for your information.

भवदीय / Yours faithfully,

(तारा दत्त पंत / T. D. Pant)

उप प्रमुख (विधि) / Deputy Chief (Legal)

संलग्न: उपरोक्त / Encl: as stated.

प्रतिलिपि / Copy to:

1. The Chairman,  
Power Grid Corporation of India Limited,  
Plot No. 2, Sector-29,  
Gurgaon-122 001 (Haryana)

2. Shri T.A.N. Reddy,  
Authorized Signatory,  
Purulia & Kharagpur Transmission Co. Ltd.  
C-2, 2nd Floor, The Mira Corporate Suites,  
1&2 Ishwar Nagar, Okhla Crossing,  
Mathura Road, New Delhi - 110 065





# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION



तीसरा एवं चौथा तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001  
3rd & 4th Floor, Chanderlok Building, 36 Janpath, New Delhi-110001

## TRANSMISSION LICENCE

1. The Central Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as "Commission"), in exercise of the powers conferred under Section 14 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as "Act"), hereby grants the transmission licence to Purulia & Kharagpur Transmission Company Limited, having its registered office at C-2, Mira Corporate Suites, 1 & 2 Ishwar Nagar, New Friends Colony, New Delhi-110065 (hereinafter referred to as "licensee") to undertake the business of establishing of the "Eastern Region System Strengthening Scheme -VII" on build, own, operate and maintain (BOOM) basis, more specifically described in the schedule attached to this licence, which shall be read as a part and parcel of this licence, subject to the Act, the rules and conditions specified under the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2009 which shall be read as part and parcel of this licence.
2. The conditions such as but not limited to, completion schedule, transfer value, liquidated damages, Project Implementation Guarantee Deposit, escalation due to domestic inflation, which are specified in bid documents and provisions in the Agreements, shall be treated as part of this licence, unless these provisions are contrary to the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2009.
3. This licence is not transferable, except as provided in the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2009.
4. The grant of licence to the licensee shall not in any way or manner restrict the right of the Commission to grant a licence to any other person within the same area for the transmission system other than the project described in the schedule attached to this licence. The licensee shall not claim any exclusivity.
5. The licence shall, unless revoked earlier, continue to be in force for a period of 25 (twenty five) years from the date of issue.

Copy of the licence endorsed to :-

- (1) Ministry of Power, Government of India
- (2) Central Electricity Authority
- (3) Power Grid Corporation of India Ltd. (CTU)

(Shubha Sarma)  
Secretary

Place: New Delhi  
Date : 30th May, 2014

(Shubha Sarma)  
Secretary



## SCHEDULE

### Project Related Details:


The project comprises of following elements of the Inter-State Transmission System:

Transmission line(s) :

S.No.	Transmission elements	Completion Target	Conductors per Phase
1.	Purulia PSP (WB)-Ranchi (PG) 400 kV D/C Line	28 months from effective date (9.12.2013)	<b>Twin Moose or equivalent AAAC.</b> The transmission lines shall have to be designed for a maximum operating conductor temperature of 85 deg C for both ACSR as well as AAAC
2.	Kharagpur (WBSETCL)-Chaibasa (PG) 400 kV D/C Line	28 months from effective date (9.12.2013)	<b>Twin Moose or equivalent AAAC.</b> The transmission lines shall have to be designed for a maximum operating conductor temperature of 85 deg C for both ACSR as well as AAAC

Licence No. 25/ Transmission /2014/CERC

Authority: Order of the Commission dated 30.4.2014 and 30.5.2014 in Petition No. 326/TL/2013.

  
(Shubha Sarma)  
Secretary





# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION



तीसरा एवं चौथा तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001  
3rd & 4th Floor, Chanderlok Building, 36 Janpath, New Delhi-110001

## पारेषण अनुज्ञप्ति

1. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (जिसे इसके पश्चात् 'आयोग' कहा गया है), विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसे इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित, निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन एवं अनुरक्षण (यूएम) के आधार पर 'पूर्वक्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना-VII' की स्थापना के कारोबार के लिए जो इस अनुज्ञप्ति के भाग रूप माने जाएंगे, पुरुलिया एवं खडगपुर पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सी-2, मीरा कॉर्पोरेट शूट्स, 1 व 2, ईश्वर नगर, न्यू फ्रेडेंस कालोनी, नई दिल्ली-110065 में है (जिसे इसके पश्चात् 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है), अधिनियम तथा नियमों तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधन तथा शर्तों, जो इस अनुज्ञप्ति के भाग के रूप में माने जाएंगे, के अधीन रहते हुए, पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करता है।
2. ऐसी शर्तें, जो समापन अनुसूची, अंतरण मूल्य, परिनिर्धारित नुकसानी, परियोजना कार्यान्वयन गारंटीकृत निक्षेप, स्वदेशी मुद्रास्फीति के कारण वृद्धि, जो बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट हैं तथा करार के उपबंध हैं, जो सीमित नहीं हैं, इस अनुज्ञप्ति का भाग रूप तब तक समझे जाएंगे, जब तक कि ये उपबंध केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के प्रतिकूल न हों।
3. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं है।
4. अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने से किसी अन्य ऐसे व्यक्ति का इस अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची में वर्णित परियोजना से भिन्न पारेषण प्रणाली के लिए उसी क्षेत्र में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग का अधिकार किसी रूप या रीति से निर्बंधित नहीं होगा। अनुज्ञप्तिधारी अनन्य रूप से कोई भी दावा नहीं करेगा।
5. अनुज्ञप्ति जब तक पहले प्रतिसंहत नहीं कर ली जाए, इसके जारी होने की तारीख से 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

अनुज्ञप्ति की प्रति निम्नलिखित को :

- (1) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
- (2) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
- (3) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीटीयू)

स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 30 मई, 2014

शुभा-शर्मा  
(शुभा शर्मा)  
सचिव

शुभा-शर्मा  
(शुभा शर्मा)  
सचिव



## अनुसूची

परियोजना से संबंधित ब्यौरे:

परियोजना में अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के निम्नलिखित तत्व सम्मिलित हैं:

पारेषण लाइनें:

क्र.सं.	पारेषण घटक	पूरा करने का लक्ष्य	कंडक्टर्स प्रति फेस
1.	पुरुलिया पीएसपी (डब्ल्यूडी)-राची (पीजी) 400 केवी डी / सी लाइन	प्रभावी होने की तारीख (9.12.2013) से 23 महीने	टिवन मूस (moose) अथवा समकक्ष एएएसी। पारेषण लाइनों को एसीएसआर तथा एएएसी दोनों के लिए 85 डिग्री से. के अधिकतम आपरेटिंग कंडक्टर तापमान के लिए डिजाइन किया जाएगा।
2.	खडगपुर (डब्ल्यूबीएसई टीसीएल) चाइबासा (पीजी) 400 केवी डी / सी लाइन	प्रभावी होने की तारीख (9.12.2013) से 28 महीने	टिवन मूस (moose) अथवा समकक्ष एएएसी। पारेषण लाइनों को एसीएसआर तथा एएएसी दोनों के लिए 85 डिग्री से. के अधिकतम आपरेटिंग कंडक्टर तापमान के लिए डिजाइन किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति सं. 25/पारेषण/2014/केविविआ

प्राधिकार : आयोग की याचिका सं. 326/टीएल/2013 में तारीख 30.4.2014 तथा 30.5.2014 के आदेश।

शुभा शर्मा

(शुभा शर्मा)  
सचिव